संख्या–389 / 14–2–2017–800(183) / 2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक** 08 मार्च **2017**

विषयः– हरदोई में शाहजहांपुर–हरदोई मार्ग (एस0एच0–25) किमी0 135–136) के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम–सैदपुर तहसील शाहाबाद के खसरा संख्या–200 में एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065348 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 8 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–8बी / 06 / 33 / 2016 / एफसी / 457, दिनांक 02–01–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या–1787 / 11सी– 17931, दिनांक 23–2–2017 के द्वारा प्रस्ताव में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– विषयगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 23–2–2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्ताव की एक प्रति प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नकः– यथापरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या–389(1) / 14–2–2017–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।